

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
ICR Division

Shastri Bhavan, New Delhi

Dated: 22nd April, 2025

NOTIFICATION

No.9-3/2017-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. **And whereas**, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, this Ministry, vide Notification No.9-3/2017-U.3(A) dated 29.11.2019, on the advice of UGC, declared Chaitanya Degree College (Autonomous), Hanamkonda, Warangal, Telangana as an Institution deemed to be University in the name of Chaitanya Institute of Science & Technology, Warangal, Telangana under general category for a provisional period of five years with prospective date.

3. **And whereas**, this Ministry, vide Notification No.9-3/2017-U.3(A) dated 29.11.2019, rechristened the name of Chaitanya Institute of Science & Technology (Deemed to be University), Hanamkonda, Warangal to Chaitanya (Deemed to be University), Hanamkonda, Warangal.


4. **And whereas**, this Ministry, vide Notification No.9-3/2017-U.3(A) dated 21.07.2023, on the advice of UGC, permitted Chaitanya (Deemed to be University), Hanamkonda, Warangal for shifting of its main campus from Hanamkonda, Warangal to the vicinity of Hyderabad with condition that the Hanamkonda, Warangal campus of Chaitanya (Deemed to be University) will cease to exist after one year from the date of issuance of this Notification.

5. **And further whereas**, a proposal was submitted by Chaitanya (Deemed to be University), Hyderabad, Telangana for extension of its deemed to be University status beyond 28.11.2024. UGC was requested to examine the proposal and submit its advice to this Ministry.

6. **And whereas**, UGC, vide its letter no. 1-5/2023 (CPP-I/DU) dated 24.03.2025 informed that the application was examined with the help of an UGC Expert committee in accordance with the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Expert Committee recommended for extension of the deemed to be University status. The Commission considered and approved the recommendation of UGC Expert Committee in its 588th meeting (Item No. 2.07) held on 13.03.2025.

7. **Now, therefore,** on the advice of UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the deemed to be University status of Chaitanya, Hyderabad, Telangana beyond 28.11.2024.

8. All the other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the rules / regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered to by Chaitanya (Deemed to be University), Hyderabad, Telangana.



(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi - 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
2. The Vice-Chancellor, Chaitanya (Deemed to be University), Hyderabad, Telangana.
3. The Principal Secretary (Higher Education), State Government of Telangana, D Block, Secretariat Building, Hyderabad-500022, Telangana.
4. The Member Secretary, All India Council for Technical Education, Indira Gandhi Stadium, I. P. Estate, New Delhi - 110002.
5. The Secretary, Indian Nursing Council, Combined Council Building, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi.
6. The Secretary, Pharmacy Council of India (PCI), Post Box No.7020, Combined Councils' Building, Kotla Road, Aiwa-E-Ghalib Marg, New Delhi-110002.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.
8. The Secretary-General, Association of Indian Universities, A.I.U. House, 16, Kotla Marg, New Delhi - 110002.
9. Joint Director (Administration) & Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi with the request to issue necessary instructions to the CMIS Unit to display this notification on the website of Department of Higher Education.
10. Guard file / Notification file.



(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No.23381578

(भारत के राजपत्र भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

संख्या 9-3/2017-यू 3(ए): जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा के किसी संस्थान को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. **और जबकि**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 29.11.2019 की अधिसूचना संख्या 9-3/2017-यू.3(ए) के तहत चैतन्य डिग्री कॉलेज (स्वायत्त), हनमकोंडा, वारंगल, तेलंगाना को संभावित तिथि के साथ पांच वर्ष की अंतरिम अवधि के लिए सामान्य श्रेणी के अंतर्गत चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल, तेलंगाना के नाम पर एक सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया है।

3. **और जबकि**, इस मंत्रालय ने दिनांक 29.11.2019 की अधिसूचना संख्या 9-3/2017-यू3(ए) के तहत चैतन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (सम विश्वविद्यालय), हनमकोंडा, वारंगल का नाम बदलकर चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हनमकोंडा, वारंगल कर दिया।

4. **और जबकि**, इस मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर दिनांक 21.07.2023 की अधिसूचना संख्या 9-3/2017-यू.3(ए) के तहत चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हनमकोंडा, वारंगल को अपने मुख्य परिसर को हनमकोंडा, वारंगल से हैदराबाद के आस-पास स्थानांतरित करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी थी कि चैतन्य (सम विश्वविद्यालय) का हनमकोंडा, वारंगल परिसर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा।

5. **और आगे**, जबकि चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा अपने सम विश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 28.11.2024 से आगे बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यूजीसी से अनुरोध किया गया था कि वह प्रस्ताव की जांच करें और इस मंत्रालय को अपनी सलाह प्रस्तुत करें।

6. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 24.03.2025 के अपने पत्र संख्या 1-5/2023 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार यूजीसी विशेषज्ञ समिति की मदद से आवेदन की जांच की गई। विशेषज्ञ समिति ने सम विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाने की सिफारिश की। आयोग ने 13.03.2025 को आयोजित अपनी 588वीं बैठक (मद संख्या 2.07) में यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

सूचना

7. अब, इसलिए, यूजीसी की सलाह पर, केंद्र सरकार, एतदद्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चैतन्य, हैदराबाद, तेलंगाना का सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिनांक 28.11.2024 से आगे बढ़ाती है।

8. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा पालन किया जाना जारी रहेगा।


पू.कि.बन.जो

(पूर्णन्दु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002।
2. कुलपति, चैतन्य (सम विश्वविद्यालय), हैदराबाद, तेलंगाना।
3. प्रधान सचिव (उच्चतर शिक्षा), तेलंगाना सरकार, डी-ब्लॉक, सचिवालय भवन, हैदराबाद-500022, तेलंगाना।
4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी स्टेडियम, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली - 110002।
5. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, कंबाईड काउंसिल बिल्डिंग, कोटला रोड, टैपल लेन, नई दिल्ली।
6. सचिव, फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), पोस्ट बॉक्स नं. 7020, कंबाईड काउंसिल बिल्डिंग, कोटला रोड, आइवा-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली-110002।
7. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू. हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002।
9. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को आवश्यक निर्देश जारी करें।
10. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।



(ज्योति रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष 23381578